

प्रेषक,

दुर्गा शंकर मिश्र,
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

21
15/4/2011

सेवा में,

- 1- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 2- समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उत्तर प्रदेश।

नगर विकास अनुभाग-7

लखनऊ: दिनांक : 06 अप्रैल, 2011

विषय-उत्तर प्रदेश जनहित गारंटी अधिनियम, 2011 की व्यवस्थाओं का अनुपालन।

महोदय,

प्रदेश के जन सामान्य को उत्तर प्रदेश जनहित गारंटी अधिनियम, 2011 की धारा-3 के अधीन निर्गत अधिगणना संख्या-2198/एक-14-2010-33(100)/2010टीसी-11, दिनांक-15.01.2011 के द्वारा सम्पत्तियों के नामान्तरण, नवीन जल आपूर्ति संयोजन, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र से सम्बन्धित सेवायें उपलब्ध कराने हेतु समय सीमा निर्धारित की गयी है। नियत अवधि में उक्त सेवायें जन सामान्य को सुलभ न हो पाने की स्थिति में मामले के निस्तारण हेतु प्रथम एवं द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी भी नियुक्त किये गये हैं।

NISA/CAC/T
313/10/11
15/4

2. मा. मुख्य मंत्री जी द्वारा जनपदों के भ्रमण के दौरान नागर निकायों में उत्तर प्रदेश जनहित गारंटी अधिनियम, 2011 के अनुपालन की स्थिति संतोषजनक नहीं पायी गयी। मा. मुख्य मंत्री जी द्वारा इस सम्बन्ध में यह निर्देश दिया गया है कि अधिनियम से आच्छादित सेवायें समरूबद्ध रूप से जनता को उपलब्ध करायी जाय। भौतिक सत्यापन के दौरान यदि पुनः कमियाँ पायी जाती हैं, तो उत्तरदायी अधिकारी के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्यवाही की जायेगी।

3. अतः मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त अधिनियम में नागर निकायों से सम्बन्धित सेवायें नियत अवधि में जन सामान्य को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करते हुए संलग्न प्रपत्र पर प्रत्येक माह की 05 तारीख को सभी निकायों की संकलित सूचना निदेशक, स्थानीय निकाय, उ.प्र., लखनऊ सहित शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। निर्देशों का सतत अनुश्रवण करते हुए प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाय, ताकि भविष्य में स्थानीय नागर निकायों के सम्बन्ध में कमियाँ परिलक्षित न हों।

4. कृपया उक्त आदेशों का समयबद्ध अनुपालन करायें।

संलग्न 1/ पाठ्य
2/ कक्षा (24)

सचिव,

(दुर्गा शंकर मिश्र)
प्रमुख सचिव।

.....2/-

दुर्गा शंकर मिश्र
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन
लखनऊ

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि संकलित सूचना प्रत्येक माह की 10 तारीख तक शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 2- प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ।
- 3- निदेशक, सी. एण्ड डी.एस., उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ।
- 4- समस्त महाप्रबन्धक, जल संस्थान, उत्तर प्रदेश।
- 5- समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत/नगर पालिका परिषद, उत्तर प्रदेश। (द्वारा सम्बन्धित जिलाधिकारी)
- 6- नगर विकास विभाग के समस्त अधिकारी/अनुभाग।
- 7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(विपिन कुमार द्विवेदी)
विशेष सचिव।

प्रेषक,

आलोक रंजन

प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त नगर आयुक्त

नगर निगम,
उत्तर प्रदेश।

समस्त अधिशासी अधिकारी

नगर पालिका परिषदें/नगर पंचायतें
उत्तर प्रदेश।

नगर विकास अनुभाग-7

लखनऊ: दिनांक : 31 जनवरी, 2011

विषय: स्थानीय नागर निकायों में उत्तर प्रदेश जनहित गारण्टी अध्यादेश-2011 की व्यवस्था के लागू/अनुपालन किये जाने के संबंध में।

प्रदेश के आम-जन को उपयोगी सेवायें अनिवार्य एवं समयबद्ध रूप से उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश जनहित गारण्टी अध्यादेश लागू किया गया है। उक्त अध्यादेश में नगर विकास विभाग से संबंधित निम्न सेवायें भी सम्मिलित हैं जो आम-जन को समयबद्ध रूप से उपलब्ध करायी जानी है :-

सेवायें	पदाभिहित अधिकारी	सेवाओं के लिये नियत समय सीमा	प्रथम अपीलीय अधिकारी	प्रथम अपील के निस्तारण की नियत समय सीमा	द्वितीय अपीलीय अधिकारी
नगर निगम क्षेत्र में सम्पत्ति का अविवादित नामान्तरण।	नगर निगम क्षेत्र का जोनल अधिकारी।	45 कार्यदिवस (नामान्तरण शुल्क जमा करने की तिथि से)	नगर आयुक्त	45 कार्यदिवस	मण्डलायुक्त
नगर निगम क्षेत्र में (जहाँ तकनीकी रूप से सम्भव हो) नवीन जल आपूर्ति संयोजन।	नगर निगम क्षेत्र का क्षेत्रीय जलकल अभियन्ता।	30 कार्यदिवस	महाप्रबन्धक जलकल	30 कार्यदिवस	नगर आयुक्त
नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत क्षेत्र में जन्म/मृत्यु प्रमाण-पत्र।	नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत का अधिशासी अधिकारी।	45 कार्यदिवस	उप जिला अधिकारी।	30 कार्यदिवस	जिलाधिकारी

640.
4/7/2011

नगर निगम क्षेत्र में जन्म/मृत्यु प्रमाण-पत्र।	नगर निगम क्षेत्र का जोनल अधिकारी/जोनल स्वास्थ्य अधिकारी।	45 कार्यदिवस	अपर नगर आयुक्त।	30 कार्यदिवस	नगर आयुक्त
---	--	--------------	-----------------	--------------	------------

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्त सेवायें निर्धारित समय के अन्तर्गत आवेदक को उपलब्ध कराये जाने के संबंध में तत्काल आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराये।

भवदीय,
Ma
(आलोक रंजन)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त शासनादेश की प्रतियों अपने स्तर से समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषदें एवं समस्त अधिशासी अधिकारी नगर पंचायतों को अनुपालन हेतु प्रसारित/प्रेषित करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(आलोक रंजन)
प्रमुख सचिव।

झाँसी नगर निगम, झाँसी

पत्रांक :- ०४ / न०आ० / न०नि० / २०१०-११

दिनांक :- १५.०३.११

आदेश

उत्तर प्रदेश जनहित गारण्टी अध्यादेश २०११ (उ.प्र. अध्यादेश सं० १ सन् २०११) की धारा ३ के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल नीचे अनुसूची में उल्लिखित सेवाओं, पदाभिहित अधिकारियों, प्रथम अपील अधिकारी, द्वितीय अपीलीय अधिकारी और ऐसी सेवाओं के लिये तथा प्रथम अपील के निस्तारण के लिये नियत समय सीमाएं तात्कालिक प्रभाव से सूचित की गई है। जिसमें भवनो के नामान्तरण के सम्बन्ध में निम्न व्यवस्था दी गयी है।

अनुसूची

क्र. स.	विभाग का नाम	सेवाएं	पदाभिहित अधिकारी	सेवाओं के लिये नियत समय सीमा	प्रथम अपीलीय अधिकारी	प्रथम अपील के निस्तारण की नियत समय सीमा	द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी
१	२	३	४	५	६	७	८
२	नगर विकास	नगर निगम क्षेत्र में सम्पत्ति का अविवादित नामान्तरण	नगर निगम क्षेत्र का जोनल अधिकारी	४५ कार्य दिवस (नामान्तरण शुल्क जमा करने की तिथि से)	नगर आयुक्त	४५ कार्य दिवस	मण्डलायुक्त
		नगर निगम क्षेत्र में (जहां तकनीकी रूप से सम्भव हो) नवीन जल आपूर्ति संयोजन	नगर निगम क्षेत्र का क्षेत्रीय जलकल अभियन्ता	३० कार्य दिवस	महाप्रबन्धक जलकल	३० कार्य दिवस	नगर आयुक्त
		नगर निगम क्षेत्र में जन्म-मृत्यु प्रमाण-पत्र	नगर निगम क्षेत्र का जोनल अधिकारी / जोनल स्वास्थ्य अधिकारी	४५ कार्य दिवस	अपर नगर आयुक्त	३० कार्य दिवस	नगर आयुक्त

झाँसी नगर निगम में अभी केन्द्रीयित सेवा के सभी अधिकारियों की तैनाती नहीं हुई है। अतः झाँसी नगर निगम, झाँसी में सेवाओं के निस्तारण हेतु निम्न प्रकार पदाभिहित अधिकारियों, प्रथम अधिकारी, द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी अधिकारियों द्वारा किया जायेगा :-

क्र. स.	विभाग का नाम	सेवाएं	पदाभिहित अधिकारी	सेवाओं के लिये नियत समय सीमा	प्रथम अपीलीय अधिकारी	प्रथम अपील के निस्तारण की नियत समय सीमा	द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी
१	२	३	४	५	६	७	८
२	नगर विकास	नगर निगम क्षेत्र में सम्पत्ति का अविवादित नामान्तरण	मुख्य कर निर्धारण अधिकारी	४५ कार्य दिवस (नामान्तरण शुल्क जमा करने की तिथि से)	नगर आयुक्त	४५ कार्य दिवस	मण्डलायुक्त

	नगर निगम क्षेत्र में (जहां तकनीकी रूप से सम्भव हो) नवीन जल आपूर्ति संयोजन	नगर निगम क्षेत्र का क्षेत्रीय जलकल अभियन्ता	30 कार्य दिवस	महाप्रबन्धक जलकल संस्थान	30 कार्य दिवस	नगर आयुक्त
	नगर निगम क्षेत्र में जन्म-मृत्यु प्रमाण-पत्र	नगर स्वास्थ्य अधिकारी	45 कार्य दिवस	अपर नगर आयुक्त / मुख्य कर निर्धारण अधिकारी	30 कार्य दिवस	नगर आयुक्त

अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत समय से नामान्तरण न होने की दशा में दण्ड के प्रावधान भी है। उल्लेखनीय है कि नामान्तरण की अन्तिम अपील अधिनियम के अन्दर आयुक्त झाँसी मण्डल, झाँसी द्वारा सुनी जानी है। अतः वर्णित परिस्थितियों में नामान्तरण की पत्रावलियों को निर्धारित समय 45 दिवस में निपटारा किया जाना अपरिहार्य है। वर्णित परिस्थितियों के किसी भी दशा में नामान्तरण की कार्यवाही के विलम्ब को बहुत ही गम्भीरता से लिया जावेगा।

अतः सम्बन्धित समस्त को सूचित किया जाता है कि इस चालू वित्तीय वर्ष में लम्बित समस्त प्रकरणों का निस्तारण 31 मार्च 2011 तक किया जाना सुनिश्चित करें, यदि निस्तारण में कोई Legal Flow है तो तदानुसार आवेदक को सूचित किया जाये ताकि सन्दर्भ लम्बित न रह सके कृत कार्यवाही से अद्योहस्ताक्षरी को भी अवगत कराया जाये।

मुख्य कर निर्धारण अधिकारी /
उप नगर आयुक्त,
झाँसी नगर निगम, झाँसी।

पृष्ठांकन दिनांक तदैव

प्रतिलिपि :- 1. नगर आयुक्त महोदय की सेवा में सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।
2. कर अधीक्षक/कर निरीक्षक, समस्त वार्ड लिपिक को इस निर्देश के साथ प्रेषित की कर अधीक्षक अपने वार्ड के समस्त अवशेष प्रकरणों की सूची तत्काल प्रस्तुत करें।

मुख्य कर निर्धारण अधिकारी /
उप नगर आयुक्त,
झाँसी नगर निगम, झाँसी।